



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 23, 2019/कार्तिक 1, 1941

No. 334]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2019/KARTIKA 1, 1941

नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2019

ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के ज़रिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन

सं० 283/57/2018- ग्रिड सोलर .—1.0 ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के ज़रिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देशों को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत संकल्प सं० 23/27/2017-आर एंड आर द्वारा 3 अगस्त, 2017 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-1 - खण्ड-1) में अधिसूचित किया गया है तथा दिनांक 15 जून, 2018 के भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-1 - खण्ड-1) में प्रकाशित संकल्प सं० 23/27/2017- आर एंड आर, 7 जनवरी, 2019के भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-1 - खण्ड-1) में प्रकाशित संकल्प सं० 23/27/2017-आर एंड आर तथा 11 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-1 - खण्ड-1) में प्रकाशित संकल्प सं० 23/27/2017-आर एंड आर के माध्यम से संशोधित किया गया है।

2.0 दिनांक 3 अगस्त, 2017 के उपरोक्त दिशानिर्देशों में, जिन्हें दिनांक 15 जून, 2018, 7 जनवरी, 2019 तथा 11 जुलाई, 2019 को संशोधित किया गया था, निम्न संशोधन किए जाते हैं:-

2.1 बिन्दु संख्या 2.1.1(ग) पर पैरा:

"2.1.1(ग) 'मध्यस्थ खरीदार' और 'अंतिम खरीदार':

- कुछ मामलों में विभिन्न सौर विद्युत उत्पादकों से खरीदी गई सौर विद्युत को एकत्रित करने और उसे वितरण लाइसेंसी को बेचने, अथवा क्रेडिट प्रोफ़ाइल बढ़ाने के लिए वितरण लाइसेंसी और उत्पादक ('सौर विद्युत उत्पादक') के बीच, एक मध्यस्थ की आवश्यकता हो सकती है। इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए, ऐसे मामलों में, "खरीदार" एक व्यापारी होगा, जो सौर विद्युत उत्पादकों से बिजली खरीदेगा और उसे एक या

अधिक वितरण लाइसेंसियों को बेचेगा, ऐसे में, बिजली खरीदने वाले वितरण लाइसेंसी "अंतिम खरीदार" होंगे और व्यापारी "मध्यस्थ खरीदार" कहलाएगा।

- ii. मध्यस्थ खरीदार सौर विद्युत उत्पादक के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करेगा और साथ ही अंतिम खरीदार के साथ भी विद्युत बिक्री समझौते (पीएसए) पर हस्ताक्षर करेगा। पीएसए में पीपीए के सम्बद्ध प्रावधान एक के बाद एक शामिल होंगे। अंतिम खरीदार द्वारा मध्यस्थ खरीदार को समुचित आयोग द्वारा अधिसूचित (अथवा ऐसी अधिसूचना के अभाव में मध्यस्थ खरीदार और अंतिम खरीदार द्वारा आपसी सहमति से तय की गई) दर से व्यापारिक लाभ प्रदान किया जाएगा।
- iii. ऐसे मामलों में मध्यस्थ खरीदार, जहां तक सौर विद्युत की खरीद के लिए इन दिशा निर्देशों का अनुपालन करेगा, उस सीमा तक यह समझा जाएगा कि सौर विद्युत की खरीद के लिए अंतिम खरीदार द्वारा इन नियमों का अनुपालन किया जा रहा है।"

को इस तरह पढ़ा जाए:

"2.1.1(ग) "मध्यस्थ खरीदार'और 'अंतिम खरीदार"

- i. **(क)**कुछ मामलों में विभिन्न सौर विद्युत उत्पादकों से खरीदी गई सौर विद्युत को एकत्रित करने और उसे वितरण लाइसेंसी (यों) को बेचने, अथवा क्रेडिट प्रोफाइल बढ़ाने के लिए वितरण लाइसेंसी और उत्पादक ('सौर विद्युत उत्पादक') के बीच, एक मध्यस्थ, की आवश्यकता हो सकती है। इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए, ऐसे मामलों में,"खरीदार" एक व्यापारी होगा, जो सौर विद्युत उत्पादकों से बिजली खरीदेगा और उसे एक या अधिक वितरण लाइसेंसियों को बेचेगा, ऐसे में, बिजली खरीदने वाले वितरण लाइसेंसी "अंतिम खरीदार" होंगे और व्यापारी "मध्यस्थ खरीदार" कहलाएगा।

(ख)वर्षों कि विभिन्न सौर विद्युत उत्पादकों से खरीदकर एकत्रित की गई विद्युत,मध्यस्थ खरीदार द्वारा अंतिम खरीदारों को किसी वर्ष की एक अवधि (1 जनवरी से 30 जून तक) अथवा (1 जुलाई से 31 दिसम्बर तक) के दौरान प्राप्त विभिन्न बोलियों के भारित औसत शुल्कों पर बेची जा सकेगी। तथापि, यदि जरूरत हो तो, एमएनआरई द्वारा इस अवधि/तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। भारित औसत की गणना ऐसी सभी बोलियों से प्राप्त शुल्क के लिए की जाएगी,जहां मध्यस्थ खरीदार द्वारा इसकाविशेष तौर पर उल्लेख हो कि यह बोली अंतिम खरीदार द्वारा भुगतान किए जाने वाले भारित औसत शुल्क के निर्धारण के लिए, एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान जारी की जाने वाली बोलियों के समूह (बंडल) का हिस्सा होगी। यह बंडलिंग (भारित औसत की प्रक्रिया) केवल उसी मध्यस्थ खरीदार द्वारा जारी बोलियों के लिए की जाएगी। मध्यस्थ खरीदार इस समयावधि के दौरान भारित औसत दर को प्रमाणित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(ग)भारित औसत की गणना के लिए प्रत्येक सफल बोली शुल्क के लिए भार आवंटित किया जाएगा जो कि बोली के कुल स्वीकार्य क्षमता के बराबर होगा। अर्थात nबोलियों के लिए भारित औसत शुल्क होगा:-

$$t_{avg} = (W_1 \times t_1 + W_2 \times t_2 + \dots \dots \dots W_n \times t_n) \div (W_1 + W_2 + \dots \dots \dots W_n)$$

जहां पर,

t_{avg} = भारित औसत शुल्क

w_i = सफल बोली 'i' द्वाराप्राप्त की गई क्षमता

t_i = सफल बोली 'i' के लिए शुल्क

तथा 'i'में भिन्नता1से n तक है

(घ)•1 जनवरी से 30 जून तक की बोलियों के लिए भारित औसत शुल्क को "जून शुल्क" कहा जाएगा और 1 जुलाई से 31 दिसम्बर तक की बोलियों के लिए भारित औसत शुल्क को "दिसंबर शुल्क" कहा जाएगा।

(ङ)•यदि कोई परियोजना शुरू नहीं हो पाती या शुरू होने के बाद स्थायी रूप से उत्पादन बंद हो जाता है, तो ऐसी परियोजना की क्षमता को हटा दिया जाएगा और नए भारित औसत शुल्क की गणना करके उसे लागू किया जाएगा।

(च)•ऐसी बोलियाँ जिनमें टुकड़ों या हिस्सों में परियोजनाएं स्थापित की जानी हो, जहाँ मध्यस्थ खरीदार द्वारा यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि यह बोली, बोलियों के बंडल का भाग होगी, तो पहले खंड में स्थापित होने वाली परियोजनाओं को उसी जनवरी-जून या जुलाई-दिसंबर के ब्लॉक में जारी की गई बोलियों के साथ बंडल किया जा सकता है, जिस ब्लॉक से संबंधित बोली हो। ऐसे मामलों में, बोली के अनुसार, यदि दूसरे खंड की उत्पादन प्रारंभ होने की निर्धारित तारीख (एस.सी.डी.), पहले खंड की एस.सी.डी. से 6 महीने से कम समय की है, तो दूसरे खंड को क्रम में आने वाले अगले ब्लॉक के साथ बंडल किया जा सकता है। ऐसे मामले में, बोली के अनुसार, यदि दूसरे खंड की एस.सी.डी., पहले खंड की एस.सी.डी. से 6 महीने से अधिक समय के बाद है, तो दूसरे खंड को क्रम में आ रहे अगले के अगले ब्लॉक के साथ बंडल किया जा सकता है। अगले सभी खंडों के लिए इसी सिद्धांत का पालन किया जा सकता है।

(छ)•1 जनवरी, 2020 से पहले जारी की गई बोलियों के लिए, और जहाँ इन दिशा-निर्देशों के अनुसार बंडलिंग का प्रावधान विशेष रूप से प्रदान किया गया है, मध्यस्थ खरीदार, इन दिशा-निर्देशों के उपरोक्त प्रावधानों का पालन करते हुए, अंतिम खरीदार को सौर ऊर्जा बेच सकता है।

- ii. (क)•मध्यस्थ खरीदार सौर ऊर्जा उत्पादक के साथ विद्युत खरीद समझौता (पीपीए) पर हस्ताक्षर करेगा और साथ ही अंतिम खरीदार के साथ भी विद्युत बिक्री करार (पीएसए) पर हस्ताक्षर करेगा। पीएसए के प्रावधान पीपीए के संबंधित प्रावधान के अनुसार होंगे एवं दरें खंड 2.1.1(ग) के अनुसार होंगी। पीएसए पर शुरुआत में बोली तय होने के आधार पर, "जून शुल्क" या "दिसंबर शुल्क" की दरों पर हस्ताक्षर किए जा सकेंगे और बाद में "जून शुल्क" या "दिसंबर शुल्क" की गणना होने पर, पीएसए में इसका उल्लेख किया जा सकता है।
- (ख)•अंतिम खरीदार द्वारा रु. 0.07/किलोवाट घंटा का ट्रेडिंग मार्जिन मध्यस्थ खरीदार को देय होगा।
- iii. जहाँ मध्यस्थ खरीदार ने सौर विद्युत की खरीदारी के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन किया है, ऐसा मान लिया जाएगा कि अंतिम खरीदार ने सौर विद्युत खरीदने के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन किया है।

2.2 बिन्दु सं. 3.2.3(क) पर पैरा

3.2.3(क): "भूमि अधिग्रहण: पीपीए पर हस्ताक्षर होने के 12 (बारह) महीने के भीतर, सौर विद्युत उत्पादक अथवा उससे सम्बद्ध पक्ष के नाम में अपेक्षित भूमि का कब्जा/100 प्रतिशत (शत-प्रतिशत) इस्तेमाल का अधिकार स्थापित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना/लीज अनुबंध करना। यदि भूमि सम्बद्ध पक्ष सहित किसी अन्य संस्था के नाम पर हो, तो उत्पादन प्रारंभ होने की निर्धारित तारीख (एससीडी) से पहले भूमि/भूमि पट्टा अधिकार को सौर ऊर्जा उत्पादक के नाम स्थानांतरित की जानी चाहिए। जहाँ प्राइवेट भूमि के लीज का मामला हो, तो सौर विद्युत उत्पादक के डिफॉल्ट होने के मामले में, लीज के अंतर्गत भी भूमि पट्टा अधिकार ऋणदाता या खरीददार को हस्तांतरित किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

को इस तरह पढ़ा जाए:

3.2.3(क): "भूमि अधिग्रहण: परियोजना शुरू होने की निर्धारित तारीख (एससीडी) को अथवा उससे पूर्व, कम से कम पीपीए की पूरी अवधि के लिए, सौर विद्युत उत्पादक के नाम पर अपेक्षित भूमि का कब्जा होना/100 प्रतिशत (शत-प्रतिशत) इस्तेमाल करने के अधिकार को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना/पट्टा करार का अनुबंध प्रस्तुत

करना। जहां प्राइवेट भूमि के लीज का मामला हो, तो सौर विद्युत उत्पादक के डिफॉल्ट होने के मामले में, लीज के अंतर्गत भी भूमि पट्टा अधिकार ऋणदाता या खरीददार को हस्तांतरित किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।”

2.3 बिन्दु संख्या 5.3.2(क) पर पैरा

“5.3.2(क) मध्यस्थ खरीदार द्वारा सौर विद्युत उत्पादक को दी जाने वाली भुगतान सुरक्षा:

मध्यस्थ खरीदार सौर विद्युत उत्पादक को निम्नांकित के जरिये भुगतान सुरक्षा प्रदान करेगा:

- विचारणीय परियोजना से कम-से-कम एक महीने की औसत बिलिंग राशि के लिए **रिवाल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी)** की व्यवस्था होगी,

और,

- भुगतान सुरक्षा निधि**, जो ऐसी निधि से सम्बद्ध सभी परियोजनाओं की कम-से-कम तीन महीने के बिलों के भुगतान के लिए उपयुक्त सहायता राशि होगी।”

को इस तरह पढ़ा जाए:

“5.3.2(क) मध्यस्थ खरीदार द्वारा सौर विद्युत उत्पादक को दी जाने वाली भुगतान सुरक्षा:

मध्यस्थ खरीदार सौर विद्युत उत्पादक को निम्नलिखित तरीके से भुगतान सुरक्षा प्रदान करेगा:

- विचारणीय परियोजना के लिए कम-से-कम एक महीने की औसत बिलिंग राशि के बराबर **रिवाल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी)** की व्यवस्था होगी;

और,

- भुगतान सुरक्षा निधि**, जो ऐसी निधि से सम्बद्ध सभी परियोजनाओं की कम-से-कम तीन महीने के बिलों के भुगतान के लिए उपयुक्त सहायता राशि होगी। इस भुगतान सुरक्षा निधि के प्रयोजनार्थ, मध्यस्थ खरीददार, सौर विद्युत उत्पादक(कों) से सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए 5.0 लाख रुपए प्रति मेगावाट (पाँच लाख रुपये प्रति मेगावाट) वसूल सकता है। ऐसे शुल्कों का प्रावधान आरएफएस में स्पष्ट रूप किया जायेगा तथा ये शुल्क मध्यस्थ खरीदार के लिए स्थापित भुगतान सुरक्षा निधि में जमा होंगे।”

2.4 बिन्दु सं० 5.3.2(ख) पर पैरा:

“5.3.2(ख) अंतिम खरीदार द्वारा मध्यस्थ खरीदार को भुगतान सुरक्षा:

अंतिम खरीदार मध्यस्थ खरीदार को निम्नांकित के जरिये भुगतान सुरक्षा प्रदान करेगा:

- विचारणीय परियोजना से कम से कम एक महीने की औसत बिलिंग राशि के लिए **रिवाल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी)** की व्यवस्था होगी;

और,

- राज्य सरकार की गारंटी**, जो कानूनी रूप से प्रवर्तनीय होगी, जिससे ऊर्जा शुल्क भुगतान और टर्मिनेशन क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, दोनों के संदर्भ में पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। *[इस खंड के प्रयोजन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित तृतीय पक्ष समझौता राज्य सरकार की गारंटी के रूप में काम करेगा, जो ऊर्जा प्रभार के भुगतान के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। मध्यस्थ खरीदार यह सुनिश्चित करेगा कि यह गारंटी लागू होने पर, वह उसे तत्काल सौर विद्युत उत्पादक को हस्तांतरित करेगा, ताकि पीपीए के संदर्भ में सौर विद्युत उत्पादक को देय भुगतान को कवर किया जा सके।*

- iii. उपरोक्त (i) और (ii) के अतिरिक्त, अंतिम खरीदार भी **भुगतान सुरक्षा निधि** का विकल्प चुन सकता है, जो ऐसी निधि से जुड़ी सभी परियोजनाओं के लिए कम से कम 3 (तीन) महीने के बिलों की भुगतान सुरक्षा के लिए उपयुक्त होगी।

एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार की गारंटी का उपयोग तभी किया जाएगा जब मध्यस्थ खरीदार पीपीए के तहत लेटर ऑफ़ क्रेडिट और भुगतान सुरक्षा निधि, यदि कोई हो, के माध्यम से अपनी देय राशि की वसूली में असमर्थ हो।

को इस तरह पढ़ा जाए:

"5.3.2(ख) अंतिम खरीदार द्वारा मध्यस्थ खरीदार को भुगतान सुरक्षा:

अंतिम खरीदार मध्यस्थ खरीदार को निम्नलिखित के जरिये भुगतान सुरक्षा प्रदान करेगा:

- i. विचारणीय परियोजना के लिए कम से कम एक महीने की औसत बिलिंग राशि के बराबर **रिवाल्विंग लेटर ऑफ़ क्रेडिट (एलसी)** की व्यवस्था होगी;

और,

- ii. **राज्य सरकार की गारंटी**, जो कानूनी रूप से प्रवर्तनीय होगी, जिससे ऊर्जा शुल्क भुगतान और टर्मिनेशन क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, दोनों के संदर्भ में पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। *[इस खंड के प्रयोजन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता राज्य सरकार की गारंटी के रूप में काम करेगा, जो ऊर्जा प्रभार के भुगतान के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा]*। मध्यस्थ खरीदार यह सुनिश्चित करेगा कि यह गारंटी लागू होने पर, वह उसे तत्काल सौर विद्युत उत्पादक को हस्तांतरित करेगा, ताकि पीपीए के संदर्भ में सौर विद्युत उत्पादक को देय राशि का भुगतान किया जा सके। बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां अंतिम खरीदार के लिए न तो त्रिपक्षीय करार (टीपीए) लागू हो और न ही राज्य सरकार गारंटी देने में सक्षम हो, तो निम्न प्रक्रिया को अपनाया जायेगा:

ऐसी अनिवार्यताओं के लिए अंतिम खरीदार द्वारा मध्यस्थ खरीदार को रु.0.10/kWh के अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम का भुगतान करने और इसे मध्यस्थ खरीदार द्वारा संचालित भुगतान सुरक्षा निधि में जमा करने का प्रावधान होगा।

- iii. उपरोक्त (i) और (ii) के अतिरिक्त, अंतिम खरीदार **भुगतान सुरक्षा निधि** का विकल्प चुन सकता है जो ऐसी निधि से जुड़ी सभी परियोजनाओं के लिए कम से कम 3 (तीन) महीने के बिलों की भुगतान सुरक्षा के लिए उपयुक्त होगी।

एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार की गारंटी का उपयोग तभी किया जाएगा जब मध्यस्थ खरीदार पीपीए के तहत लेटर ऑफ़ क्रेडिट और भुगतान सुरक्षा निधि, यदि कोई हो, के माध्यम से अपनी देय राशि की वसूली करने में असमर्थ हो।

2.5 बिंदु संख्या 5.4 पर पैरा:

"5.4 अप्रत्याशित घटनाएं: पीपीए में अप्रत्याशित घटनाओं (फॉर्स मोशुर)के लिए प्रावधान किया जाएगा। इनमें अप्रत्याशित घटनाओं की परिभाषा, तत्संबंधी अपवाद, उनकी प्रयोज्यता और ऐसी घटनाएं होने की स्थिति में उद्योग मानदंड के अनुसार उपलब्ध राहत संबंधी प्रावधान शामिल हैं।"

को इस तरह पढ़ा जाए:

“5.4 अप्रत्याशित घटनाएं

5.4.1 अप्रत्याशित घटना की परिभाषा: ‘अप्रत्याशित घटना’ (एफएम) से तात्पर्य निम्न में से किसी एक या अधिक कृत्यों, घटनाओं या परिस्थितियों या कृत्यों, घटनाओं या परिस्थितियों के संयोजन या तत्संबंधी परिणामों से होगा जिनके कारण से संगत विद्युत खरीद करार के तहत किसी पक्ष (प्रभावित पक्ष) के दायित्वों के निर्वहन में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से रुकावट अथवा अपरिहार्य विलंब हुआ है लेकिन यह केवल उस सीमा तक हो कि इस तरह की घटनाएं या परिस्थितियाँ प्रभावित पक्ष के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उचित नियंत्रण में न हो और प्रभावित पक्ष द्वारा उचित ध्यान दिए जाने अथवा विवेकपूर्ण यूटिलिटी प्रक्रियाओं का अनुपालन करने पर भी इससे बचा नहीं जा सकता हो।

5.4.2 अप्रत्याशित घटनाओं का वर्गीकरण

5.4.2.1 प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना

- क) दैवीय घटना, जिसमें आकाशीय बिजली, सूखा, आग और विस्फोट (किसी स्थल बाह्य स्रोत के मूल से), भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, टाइफून अथवा टार्नेडो तो शामिल हैं, लेकिन इसका दायरा यहीं तक सीमित नहीं है, जिसे सक्षम राज्य/केन्द्रीय प्राधिकरण/एजेंसी (जैसा लागू हो) द्वारा घोषित/अधिसूचित किया गया हो अथवा खरीदार की संतुष्टि के लिए सत्यापित किया गया हो;
- ख) रेडियोधर्मी संदूषण या आयनीकरण विकिरण, जो भारत में किसी स्रोत से उत्पन्न हुआ हो या उपरोक्त किसी अन्य अप्रत्याशित घटना का परिणाम हो, जिसमें ऐसी परिस्थितियाँ शामिल नहीं हैं, जहाँ संदूषण या विकिरण का स्रोत या कारण प्रभावित पक्ष द्वारा अथवा प्रभावित पक्ष द्वारा अनुबंधित व्यक्तियों द्वारा नियोजित या विद्युत परियोजना में अथवा उसके पास लाया जाता है अथवा लाया गया हो;
- ग) परियोजना भूमि पर भूगर्भीय स्थितियों, विषाक्त संदूषण या पुरातात्विक अवशेषों की खोज जहाँ परियोजना भूमि के निरीक्षण के माध्यम से यथोचित खोज की उम्मीद नहीं की जा सकती थी; या
- घ) पूर्वगामी के समान प्रकृति की कोई घटना या परिस्थितियाँ।

5.4.2.2 अप्राकृतिक अप्रत्याशित घटना

- क) युद्ध (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष की कार्रवाई या विदेशी शत्रु की कार्रवाई, नाकाबंदी, क्रांति, दंगा, विद्रोह, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई;
- ख) राष्ट्र/राज्यव्यापी हड़ताल, तालाबंदी, बहिष्कार या अन्य औद्योगिक विवाद, जिसके लिए प्रभावित पक्ष सीधे और पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इसमें प्रभावित पक्ष या उसके ठेकेदार तक सीमित हड़ताल या श्रमिक अशांति शामिल नहीं है;
- ग) किसी भारतीय सरकारी साधन/राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीयकरण या कोई अनिवार्य अधिग्रहण या किसी भौतिक परियोजना परिसम्पत्ति या उत्पादक के अधिकारों का अधिग्रहण, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादक या उसके शेयरधारक, विद्युत खरीद करारके तहत अपने अधिकारों से वंचित (पूर्ण या आंशिक रूप से) होते हैं। बशर्ते कि इस तरह की कार्रवाई में उत्पादक या उत्पादक से संबंधित पक्षों द्वारा किसी लागू कानून या परमिट के उल्लंघन के परिणामस्वरूप, खरीदार या अन्य किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा कानूनी रूप से, निर्धारित उपायों या प्रतिबंधों का समावेश नहीं है;
- घ) कोई सरकारी प्राधिकरण की कार्रवाई जिससे महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, इसमें कानून में बदलाव तो शामिल है लेकिन यह केवल कानून में बदलाव तक ही सीमित नहीं है, यह तभी है जब इसके परिणामों पर इन दिशानिर्देशों के खंड 5.7 के प्रावधानों के तहत विचार नहीं किया जा सकता हो; कोई गैर-कानूनी या अप्राधिकृत या बिना अधिकार क्षेत्र के उत्पादक को परमिट देने अथवा ठेकेदारों द्वारा संगत पीपीए और/अथवा परियोजना दस्तावेजों के तहत अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी मंजूरी,

लाइसेंस, प्राधिकार की प्राप्ति में निरसन, देरी या इनकार या बिना वैध कारण के नवीनीकरण करने या प्रदान करने में विफलता, बशर्ते कि वह विलंब, संशोधन, इनकार या निरसन उत्पादक या किसी ठेकेदार की ऐसे परमिट या मंजूरी, लाइसेंस, अधिकरण, जैसा भी मामला हो, प्रदान करने, रखरखाव या नवीनीकरण से संबंधित किसी भी शर्त का पालन करने में अक्षमता या विफलता के फलस्वरूप नहीं हुआ हो। स्पष्टीकरण:- वाक्यांश “कानून में बदलाव” में कानून, नियमों, विनियमों या सक्षम प्राधिकारियों के आदेशों में बदलाव के माध्यम से किए गए परिवर्तन शामिल होंगे।

5.4.3 अप्रत्याशित घटनाओं के अपवाद

5.4.3.1 अप्रत्याशित घटनाओं में इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा (i) कोई भी घटना या परिस्थिति जो पक्षों के उचित नियंत्रण में है और (ii) अप्रत्याशित घटना के परिणाम से उत्पन्न स्थिति को छोड़कर निम्नलिखित स्थितियाँ:-

- क) विद्युत परियोजना के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सामग्री, स्पेयर पार्ट्स या उपभोग्य सामग्रियों की लागत में परिवर्तन, अनुपलब्धता या देरी;
- ख) किसी ठेकेदार, उप-ठेकेदार या उनके एजेंटों के निष्पादन में देरी;
- ग) आमतौर पर विद्युत उत्पादन सामग्रियों और उपकरणों में देखे जाने वाले सामान्य टूट-फूट के कारण निष्पादन न होना;
- घ) प्रभावित पक्ष के कार्यस्थल पर हड़ताल;
- ङ) वित्त या धन की अपर्याप्तता या करार का निष्पादन दुश्कर होना;
- च) प्रभावित पक्ष के द्वारा या उससे संबद्ध निम्नलिखित कारण से कार्यनिष्पादन न होना:-
 - i. लापरवाही या जानबूझकर किया गया कृत्य, त्रुटियाँ या चूक;
 - ii. भारतीय कानून का पालन करने में विफलता; या
 - iii. इस करार के तहत उल्लंघन या चूक।

5.4.4 अप्रत्याशित घटना की सूचना

5.4.4.1 प्रभावित पक्ष, दूसरे पक्ष को अप्रत्याशित घटना की यथा संभव जल्द जानकारी देगा, लेकिन यह ऐसी तारीख के 7 (सात) दिनों के बाद न हो, जिस तारीख को उस पक्ष को पता चला अथवा उसे अप्रत्याशित घटना होने की व्यवहारिक तौर पर जानकारी होनी चाहिए थी। यदि अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप संचार व्यवस्था विफल हो जिसके कारण यहाँ निर्धारित, लागू करने की समय-सीमा के भीतर नोटिस देना व्यवहारिक नहीं है तो अप्रत्याशित घटना का दावा करने वाला पक्ष संचार की बहाली के अधिकतम 1 (एक) दिन बाद यथा संभव जल्द ऐसा नोटिस देगा।

5.4.4.2 बशर्ते कि इस तरह का नोटिस पीपीए के तहत छूट का दावा करने के लिए प्रभावित पक्ष की हकदारी के लिए एक पूर्व शर्त होगा। इस तरह के नोटिस में अप्रत्याशित घटना का पूर्ण विवरण, छूट का दावा करने वाले प्रभावित पक्ष पर इसके प्रभाव और प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय शामिल होंगे। प्रभावित पक्ष अन्य पक्ष को उन उपचारात्मक उपायों की प्रगति पर नियमित (और साप्ताहिक से कम नहीं) रिपोर्ट और ऐसी अन्य जानकारी देगा जिसके लिए अन्य पक्ष अप्रत्याशित घटना के बारे में यथोचित अनुरोध कर सकते हैं।

5.4.4.3 प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष को (i) संगत अप्रत्याशित घटना के समाप्त होने, तथा (ii) पीपीए के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों के निष्पादन पर ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभावों की समाप्ति के बारे में, प्रत्येक समाप्ति की जानकारी होते ही यथा संभव जल्द नोटिस देगा।

5.4.5 निष्पादन से छूट

5.4.5.1 प्रभावित पक्ष, अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप पीपीए के तहत अपने दायित्वों या उसके आंशिक दायित्वों का निष्पादन करने में, जहाँ तक असमर्थ समझा गया है, दायित्वों के उतने निष्पादन से छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते कि अप्रत्याशित घटना नोटिस जारी होने की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक की अवधि न हो। दोनों पक्ष अप्रत्याशित घटना के कारण निष्पादन से छूट दी गई अवधि को बढ़ाने के लिए सहमत हो सकते हैं।

5.4.5.2 पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत समय अवधि के लिए, जिसके दौरान निष्पादन से छूट दी जाएगी, उत्पादक वित्तीय समापन या निर्धारित प्रचालन अवधि या पीपीए अवधि, जैसा भी मामला हो, के लिए प्रदान की गई अवधि में दैनिक आधार पर विस्तार के लिए पात्र होगा।

5.4.5.3 परन्तु प्रायः किसी पक्ष को निष्पादन से छूट केवल उतनी ही दी जाएगी, जितनी की अप्रत्याशित घटना के कारण से अपेक्षित है।

5.4.5.4 इसके अलावा यह भी शर्त होगी कि कथित अप्रत्याशित घटना से पहले के किसी भी भुगतान दायित्व से प्रभावित पक्ष को मुक्त नहीं किया जाएगा।

5.4.6 अन्य हानियों के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं

इन दिशानिर्देशों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई भी पक्ष किसी भी अप्रत्याशित घटना के संबंध में अथवा उसके कारण अथवा उससे उत्पन्न किसी हानि के संबंध में, अन्य पक्षों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

5.4.7 निष्पादन का पुनः आरम्भ

जिस अवधि के दौरान अप्रत्याशित घटना हो रही हो, प्रभावित पक्ष अन्य पक्षों के परामर्श से अप्रत्याशित घटना के दौरान पीपीए के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन को सीमित करने या कम करने के सभी प्रयास करेगा। प्रभावित पक्ष इस करार के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन को जल्द से जल्द पुनः आरंभ करने का प्रयास करेगा और लिखित रूप में अन्य पक्षों को सूचित करेगा। अन्य पक्ष इस संबंध में प्रभावित पक्ष को उचित सहायता प्रदान करेंगे।

5.4.8 अप्रत्याशित घटना के कारण समाप्ति

5.4.8.1 प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना के कारण समाप्ति

क) यदि अप्रत्याशित घटना की 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि (या किसी विस्तारित अवधि) के पूरा होने से पहले, जो अप्रत्याशित घटना के नोटिस जारी करने की तारीख से शुरू होगी, पक्षों का यह विचार है और खंड 5.4.5 (निष्पादन से छूट) के अनुसरण में सहमति है, कि प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना 180 (एक सौ अस्सी) दिन की अवधि या किसी विस्तारित अवधि से आगे जारी रहने की संभावना है; या प्रभावित इकाई को पुनः आरंभ करना अलाभकारी है अथवा व्यवहारिक नहीं है, तो दोनों पक्ष परस्पर रूप से पीपीए को समाप्त करने पर निर्णय ले सकते हैं और समाप्ति उस तारीख से प्रभावी होगी जिस दिन ऐसा निर्णय लिया जाता है।

ख) उपरोक्त खंड 5.4.8.1 (क) के प्रावधानों पर प्रभाव डाले बिना प्रभावित पक्ष 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि या किसी अन्य परस्पर विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद दूसरे पक्ष को इस संबंध में एक नोटिस जारी करके अपने विवेकाधिकार से पीपीए को समाप्त कर सकेगा।

ग) खंड 5.4.8.1 (ख) के अनुसार में पीपीए की समाप्ति पर:-

- उत्पादक को कोई समाप्ति मुआवजा देय नहीं होगा;
- अप्रत्याशित घटना से पहले, उत्पादक, बकाया मासिक बिलों के तहत निर्विवाद भुगतान के लिए पात्र होगा।

5.4.8.2 गैर-प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना के कारण समाप्ति

क) गैर-प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना होने पर उत्पादक को अपने विवेक से अप्रत्याशित घटना के नोटिस की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि पूरी होने के बाद पीपीए को समाप्त करने का अधिकार होगा।

ख) खंड 5.4.6 में निहित होने के बावजूद खंड 5.4.8.2 (क) के अनुसार पीपीए की समाप्ति पर:

- खरीदार, उत्पादक को 'अप्रत्याशित घटना समाप्ति मुआवजा' देगा, जो बकाया ऋण और समायोजित इक्विटी के 110 प्रतिशत (एक सौ दस प्रतिशत) राशि के समतुल्य होगा जैसा कि इन दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है और परियोजना संपत्तियों का अधिग्रहण करेगा।
- अप्रत्याशित घटना से पहले, उत्पादक, बकाया मासिक बिलों के तहत निर्विवाद भुगतान के लिए पात्र होगा।

2.6 बिंदु सं. 5.5.2 पर पैरा:

"5.5.2 बैकडाउन के कारण ऑफटेक बाधाएं: सौर विद्युत उत्पादक और खरीदार समुचित आयोग द्वारा इस बारे में बनाए गए विनियमों के अनुसार पूर्वानुमान और शेड्यूलिंग प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) की धारा 5.2(यू) के अनुसार, भारत सरकार, सौर विद्युत परियोजनाओं के "अनिवार्य संचालन" की स्थिति को प्रोत्साहित करती है। तदनु रूप, किसी डिस्कॉम/लोड डिस्पैच सेंटर (एलडीसी) द्वारा, विधिवत रूप से संचालित किसी सौर विद्युत संयंत्र को बैकडाउन का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए। ग्रिड सुरक्षा या किसी उपकरण अथवा कार्मिक की सुरक्षा या किसी अन्य ऐसी स्थिति के कारण होने वाले बैक डाउन को छोड़कर, यदि बैकडाउन की ऐसी कोई आपात स्थिति पैदा होती है, तो सौर विद्युत उत्पादक खरीदार से निम्नांकित अनुसार न्यूनतम उत्पादन क्षतिपूर्ति किए जाने का पात्र होगा:-

बैकडाउन की अवधि	उत्पादन क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान
मासिक बिलिंग साइकिल के दौरान बैकडाउन के घंटे	<p>न्यूनतम उत्पादन क्षतिपूर्ति =</p> <p>[(महीने के दौरान प्रति घंटा औसत उत्पादन) x (महीने के दौरान बैकडाउन के घंटों की संख्या) x पीपीए टैरिफ] का 50 प्रतिशत</p> <p>जिसमें, माह के दौरान प्रति घंटा औसत उत्पादन (केडब्ल्यूएच) =</p> <p>महीने के दौरान कुल उत्पादन (केडब्ल्यूएच) – महीने के दौरान उत्पादन के कुल घंटे</p>

उत्पादन क्षतिपूर्ति क्षेत्रीय विद्युत लेखा (आरईए) की प्राप्ति के बाद अगले महीने के विद्युत बिल के हिस्से के रूप में अदा की जाएगी। इस उत्पादन क्षतिपूर्ति पर कोई व्यापार मार्जिन लागू नहीं होगा। बैकडाउन प्रयोजनों के संदर्भ में उत्पादन क्षतिपूर्ति के निवारण के लिए संभावित शर्तों का उल्लेख आरएफएस और पीपीए में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।"

को इस तरह पढ़ा जाए:

"5.5.2 बैकडाउन के कारण ऑफटेक बाधाएं:

(क). सौर विद्युत उत्पादक और खरीदार समुचित आयोग द्वारा इस बारे में बनाए गए विनियमों के अनुसार पूर्वानुमान और शेड्यूलिंग प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) की धारा 5.2(यू) के अनुसार, भारत सरकार, सौर विद्युत परियोजनाओं के "अनिवार्य संचालन" की स्थिति का प्रावधान करती है। तदनु रूप, किसी डिस्कॉम/लोड डिस्पैच सेंटर (एलडीसी) द्वारा, विधिवत रूप से संचालित किसी सौर विद्युत संयंत्र को बैकडाउन का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए। ग्रिड सुरक्षा या किसी उपकरण अथवा कार्मिक की सुरक्षा या किसी अन्य ऐसी स्थिति के कारण होने वाले बैक डाउन को छोड़कर, वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत खरीद करारों के तहत भुगतान

सुरक्षा तंत्र के रूप में लेटर ऑफ़ क्रेडिट (एलसी) को खोलने और पर्याप्त अनुरक्षण के संबंध में विद्युत मंत्रालय के दिनांक 28.06.2019 के आदेश सं. 23/22/2019-आर एंड आर और तत्संबंधी किसी स्पष्टीकरण अथवा संशोधन का अनुपालन न करने के कारण विद्युत का गैर-प्रेषण सहित, यदि बैकडाउन की ऐसी कोई आपात स्थिति पैदा होती है, तो सौर विद्युत उत्पादक खरीदार से निम्नांकित अनुसार न्यूनतम उत्पादन क्षतिपूर्ति किए जाने का पात्र होगा:-

बैकडाउन की अवधि	उत्पादन क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान
मासिक बिलिंग साइकिल के दौरान बैकडाउन के घंटे	<p>न्यूनतम उत्पादन क्षतिपूर्ति =</p> <p>[(महीने के दौरान प्रति घंटा औसत उत्पादन) x (महीने के दौरान बैकडाउन के घंटों की संख्या) x पीपीए टैरिफ] का 100 प्रतिशत</p> <p>जिसमें, माह के दौरान प्रति घंटा औसत उत्पादन (केडब्ल्यूएच) =</p> <p>महीने के दौरान कुल उत्पादन (केडब्ल्यूएच) – महीने के दौरान उत्पादन के कुल घंटे</p>

(ख). उत्पादन क्षतिपूर्ति क्षेत्रीय विद्युत लेखा (आरईए) की प्राप्ति के बाद अगले महीने के विद्युत बिल के हिस्से के रूप में अदा की जाएगी। इस उत्पादन क्षतिपूर्ति पर कोई व्यापार मार्जिन लागू नहीं होगा। बैकडाउन प्रयोजनों के संदर्भ में उत्पादन क्षतिपूर्ति के निवारण के लिए संभावित शर्तों का उल्लेख आरएफएस और पीपीए में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ग). औपचारिक/लिखित निर्देश दिए बिना किसी भी बैकडाउन/कटौती का आदेश नहीं दिया जाएगा।

(घ). संबंधित लोड डिस्पैच सेंटर बैकडाउन/कटौती एवं उससे सम्बन्धित कारणों का विवरण सार्वजनिक करेगा।”

2.7 बिंदु सं. 5.6.1 पर पैरा:

“5.6.1. उत्पादक के डिफॉल्ट होने की स्थिति और उसके परिणाम:

- क) सौर विद्युत उत्पादक के निर्दिष्ट अवधि के दौरान संयंत्र चालू करने में विफल रहने, अथवा पीपीए की शर्तों के अनुसार विद्युत आपूर्ति न कर पाने की स्थिति में, अथवा पीपीए की शर्तों के विपरीत अपने किन्हीं अधिकारों या दायित्वों को किसी अन्य को सौंपने या हस्तांतरित करने, अथवा पीपीए की शर्तों से मुक्त जाने, अथवा पीपीए के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने प्रोमोटर्स के नियंत्रण या शेयरधारिता में कोई बदलाव करने अथवा पीपीए में वर्णित कोई अन्य भूल-चूक करने और उपरोक्त गलतियों को पीपीए में वर्णित अनुसार उपचार अवधि के दौरान उपचारित करने में विफल रहने की स्थिति में सौर विद्युत उत्पादक को डिफॉल्ट समझा जाएगा।
- ख) डिफॉल्ट होने की स्थिति में, सौर विद्युत उत्पादक को पीपीए में वर्णित अनुसार खरीदार को क्षतिपूर्ति करनी होगी। खरीदार को उक्त क्षति वसूल करने के लिए बैंक गारंटी, यदि कोई हो, को ज़ब्त करने का हक होगा, और इसका उसके द्वारा किसी अन्य कानूनी उपाय या कार्रवाई करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ग) उपरोक्त अनुसार क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त, सौर विद्युत उत्पादक के डिफॉल्ट की स्थिति में, पीपीए में उपबंधित प्रतिस्थापन समझौते और खरीदार की सहमति के अनुसार, लेनदार को अपने प्रतिस्थापन अधिकार का इस्तेमाल करने की छूट होगी। परंतु, यदि देनदार निर्धारित अवधि में डिफॉल्ट सौर विद्युत उत्पादक से प्रतिस्थापन नहीं कर पाता है, तो खरीदार पीपीए को समाप्त कर सकता है और देय ऋण के 90 प्रतिशत के समकक्ष परियोजना की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण कर सकता है। ऐसा न कर पाने की स्थिति में ऋणदाता अपने रेहन (मार्टगेज) अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है और परियोजना परिसम्पत्तियों का समापन कर सकता है।”

को इस तरह पढ़ा जाए:

"5.6.1. उत्पादक के डिफॉल्ट(चूक) होने की स्थिति और उसके परिणाम:

- क) सौर विद्युत उत्पादक के निर्दिष्ट अवधि के दौरान संयंत्र चालू करने में विफल रहने, अथवा पीपीए की शर्तों के अनुसार विद्युत आपूर्ति न कर पाने की स्थिति में, अथवा पीपीए की शर्तों के विपरीत अपने किन्हीं अधिकारों या दायित्वों को किसी अन्य को सौंपने या हस्तांतरित करने, अथवा पीपीए की शर्तों से मुक्त जाने, अथवा पीपीए के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने प्रोमोटर्स के नियंत्रण या शेयरधारिता में कोई बदलाव करने अथवा पीपीए में वर्णित कोई अन्य भूल-चूक करने और उपरोक्त गलतियों को पीपीए में वर्णित अनुसार उपचार अवधि के दौरान उपचारित करने में विफल रहने की स्थिति में सौर विद्युत उत्पादक कीचूक समझा जाएगा।
- ख) सौर विद्युत उत्पादक को, चूक की स्थिति में, खरीदार को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा, जैसा कि दिशा-निर्देशों के खंड 14.3के अनुसार निर्धारित समय में शुरू न कर पानेऔर खंड 5.2.1(क) के अनुसार, पी.पी.ए. के अनुसार विद्युत आपूर्ति न कर पाने के लिए वर्णित है। अन्य मामलों में, खरीदार को 6 (छः) महीनेया पी.पी.ए. की शेष अवधिके बराबर, इनमें से जोभी कम हो, के लिए, अनुबंधित क्षमता के लिए शुल्क की क्षतिपूर्ति का भुगतान खरीदार को करना होगा। खरीदार को उक्त क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए यदि कोई बैंक गारंटी हो, तो उसे ज़ब्त करने का हक होगा, जो किसी अन्य कानूनी रास्ते या उपाय का सहारा लिए बगैर पूर्वाग्रह रहित होगा।
- ग) उपरोक्त अनुसार क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त, सौर विद्युत उत्पादक केचूक की स्थिति में, पीपीए में उपबंधित प्रतिस्थापन समझौते और खरीदार की सहमति के अनुसार, लेनदार को अपने प्रतिस्थापन अधिकार का इस्तेमाल करने की छूट होगी। परंतु, यदि देनदार निर्धारित अवधि में डिफॉल्टर सौर विद्युत उत्पादक का प्रतिस्थापन नहीं कर पाता है, तो खरीदार पीपीए को समाप्त कर सकता है और देय ऋण के 90 प्रतिशत के समकक्ष राशि का भुगतान कर परियोजना की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण कर सकता है। ऐसा न कर पाने की स्थिति में ऋणदाता अपने रेहन (मार्टेज) अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है और परियोजना परिसम्पत्तियों का निपटारा कर सकता है।"

2.8 बिंदु सं. 5.6.2.पर पैरा:

"5.6.2. खरीदार का डिफॉल्टर होना और उसके परिणाम:

- क) यदि अन्य बातों के अलावा खरीदार मासिक और/या पूरक बिलों का भुगतान निर्धारित अवधि के दौरान करने में विफल रहता है, या वह पीपीए से मुक्तता है, तो ऐसे में डिफाल्टर खरीदार निर्धारित अवधि में पीपीए से संबंधित अपने हिस्से में किसी अन्य को सम्बद्ध बनाने सहित उसे किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित कर सकता है, परंतु इसके लिए उसे सौर विद्युत उत्पादक की पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी।
- ख) यदि उक्त हस्तांतरण सौर विद्युत उत्पादक को स्वीकार्य नहीं होगा, अथवा डिफाल्टर खरीदार द्वारा निर्धारित अवधि में हस्तांतरण का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा, तो सौर विद्युत उत्पादक पीपीए को समाप्त कर सकता है और अपने विवेकाधिकार से डिफाल्टर खरीदार से या तो (i) देय ऋण की राशि के समकक्ष समापन क्षतिपूर्ति का भुगतान करके परियोजना की परिसम्पत्तियों और पीपीए में वर्णित अनुसार 150 प्रतिशत समायोजित इक्विटी का अधिग्रहण कर सकता है अथवा, (ii) सौर विद्युत उत्पादक डिफाल्टर से कह सकता है कि वह उसे छह महीने अथवा पीपीए की बकाया अवधि के लिए, इनमें जो भी कम हो, की समकक्ष राशि का भुगतान अनुबंधात्मक क्षमता में करे। ऐसे में परियोजना की परिसम्पत्तियाँ सौर विद्युत उत्पादक द्वारा रखी जाएंगी।
- पीपीए के समापन की स्थिति में संयंत्र की कनेक्टिविटी के लिए एसटीयू/सीटीयू को देय कोई क्षति या शुल्क खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा।"

को इस तरह पढ़ा जाए:

“5.6.2. खरीदार का डिफॉल्टर होना (खरीदार की चूक होना) और उसके परिणाम:

- क)** यदि अन्य बातों के अलावा खरीदार मासिक और/या पूरक बिलों का भुगतान निर्धारित अवधि के दौरान करने में विफल रहता है, या वह पीपीए से मुकरता है, तो ऐसे में डिफॉल्टर खरीदार निर्धारित अवधि में पीपीए से संबंधित अपने हिस्से में किसी अन्य को सम्बद्ध बनाने सहित उसे किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित कर सकता है, परंतु इसके लिए उसे सौर विद्युत उत्पादक की पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी।
- ख)** यदि उक्त हस्तांतरण सौर विद्युत उत्पादक को स्वीकार्य नहीं होगा, अथवा डिफॉल्टर खरीदार द्वारा निर्धारित अवधि में हस्तांतरण का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा, तो सौर विद्युत उत्पादक पीपीए को समाप्त कर सकता है और अपने विवेकाधिकार से, डिफॉल्टर खरीदार से या तो (i) देय ऋण और 110 प्रतिशत (एक सौ दस प्रतिशत) समायोजित इक्विटी, जैसा कि नीचे वर्णित है, उसमें बीमा कवर यदि कोई हो को, कम करके, राशि के समकक्ष समापन क्षतिपूर्ति का भुगतान करके परियोजना की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करवा सकता है अथवा, (ii) सौर विद्युत उत्पादक, डिफॉल्टर खरीदार से कह सकता है कि वह उसे छह महीने अथवा पीपीए की बकाया अवधि के लिए, इनमें जो भी कम हो, की समकक्ष राशि का भुगतान अनुबंधात्मक क्षमता में करे, ऐसे में परियोजना की परिसम्पत्तियां सौर विद्युत उत्पादक द्वारा रखी जाएंगी।
- ग)** पीपीए के समापन की स्थिति में संयंत्र की कनेक्टिविटी के लिए एसटीयू/सीटीयू को देय कोई क्षति या शुल्क खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा।
- घ)** **समायोजित इक्विटी** से तात्पर्य भारतीय रुपये में वित्त पोषित इक्विटी और चालू माह के पहले दिन ("संदर्भ तिथि"), नीचे दिए गए तरीके से समायोजित इक्विटी से है जो मूल्यहास और भिन्नताओं के कारण इसके मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और नियुक्त तिथि और संदर्भ तिथि (वित्तीय समापन प्राप्त करने की तारीख) के महीने के पहले दिन के बीच होने वाली किसी भी संदर्भ तिथि के लिए है;
- वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) को या उससे पहले, समायोजित इक्विटी भारतीय रुपये में वित्त पोषित और परियोजना पर खर्च की गई इक्विटी के योगके बराबर की राशि होगी, नियुक्त महीने की प्रथम दिनांक और संदर्भित दिनांक के बीच डब्ल्यूपीआई की भिन्नताके आधे हिस्से तक संशोधित;
 - सीओडी को, समायोजित इक्विटी के बराबर राशि को आधार ("आधार समायोजित इक्विटी") माना जाएगा।
 - सीओडी के बाद, समायोजित इक्विटी यहां आधार समायोजित इक्विटी राशि के बराबर राशि होगी, जो प्रत्येक महीने के शुरू में 0.333% (शून्य दशमलव तीन तीन प्रतिशत) से कम होगी [प्रति तिमाही 1% (एक प्रतिशत) की कमी] और यह राशि, सीओडी और संदर्भ तिथि के बीच होने वाले डब्ल्यूपीआई में भिन्नता की सीमा तक संशोधित की जाएगी;
- संदेह से बचने के लिए, समाप्ति की स्थिति में, समायोजित इक्विटी की गणना, स्थानांतरण तिथि से तुरंत पहले की संदर्भ तिथि के अनुसार की जाएगी; बशर्ते कि समायोजित इक्विटी में कोई कमी, उस अवधि के बराबर अवधि, यदि कोई हो, के लिए नहीं की जाएगी, जिसके लिए पीपीए अवधि बढ़ाई गई है, लेकिन डब्ल्यूपीआई के कारण संशोधन करना जारी रहेगा।
- ङ)** **ऋण बकाया** का अर्थ है स्थानांतरण तिथि पर भारतीय रुपए में बकाया निम्नलिखित रकम का कुल योग:
- कुल परियोजना लागत ('मूलधन') के वित्तपोषण के लिए वित्त पोषण करारों के तहत वरिष्ठ उधारदाताओं द्वारा प्रदान की गई ऋण की मूल राशि, लेकिन हस्तांतरण तिथि से पहले 2 (दो) वर्षों के लिए चुकाए जाने वाले मूलधन के किसी भी हिस्से को छोड़कर;

- ii. स्थानान्तरण की तारीख तक उपरोक्त उप-खंड 5.6.2(ड)(i) में निर्दिष्ट कर्ज के या उससे संबंधित वित्त पोषण करारों के तहत देय सभी उपार्जित ब्याज, वित्त पोषण फीस और शुल्क, परंतु निम्नलिखित शामिल नहीं हैं: (i) स्थानान्तरण की तारीख से एक वर्ष पूर्व देय कोई ब्याज, फीस या शुल्क, (ii) किसी भी वरिष्ठ ऋणदाता को वित्तपोषण करारों के तहत देय जुर्माना ब्याज या शुल्कें (iii) किसी भी प्रकार के पूर्व-भुगतान शुल्क जो कर्ज के त्वरित भुगतान की अदायगी के संबंध में हो, सिवाय वहां, जहां ऐसे शुल्क यूटिलिटी डिफॉल्ट के कारण पैदा हुए हैं। (iv) किसी प्रकार का अनुषंगी ऋण, जो वित्तीय पैकेज में शामिल है और जिसे उधारदाताओं द्वारा कुल परियोजना लागत के वित्तपोषण के लिए वितरित किया गया है।

बशर्ते कि यदि बकाया ऋण का पूरा या आंशिक भाग वरिष्ठ ऋणदाताओं और/या रियायतग्राही द्वारा दिये गए विकल्प पर इच्छिणी में परिवर्तनीय है, तो यह इस करार के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा कि ऋण बकाया नहीं है, चाहे ऐसा कोई परिवर्तन न हुआ हो और तत्संबंधी मूलधन से ऐसे निपटा जाएगा जैसे ऐसा कोई परिवर्तन किया गया हो।

बशर्ते यह कि सीओडी पर या उसके बाद की ऋण देयता, कुल परियोजना लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी।"

2.9 बिन्दु सं० 10 का पैरा:

"10. ठेका देना और कार्य पूरा करना

- 10.1** बोली लगाने में सफल रहे ठेकेदार/परियोजना कंपनी या बोली लगाने के लिए गठित विशेष उद्देश्य कंपनी (एसपीवी) के साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर दस्तखत किये जाएंगे।
- 10.2** बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति बोलियों की आलोचनात्मक समीक्षा करेगी इस बात के औचित्य का प्रमाणपत्र देगी कि बोली की प्रक्रिया और मूल्यांकन का कार्य आरएफएस (चयन हेतु अनुरोध) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
- 10.3** पारदर्शिता के लिए, खरीदार पीपीए पर अमल के बाद बोली लगाने में सफल रहे बोलीदाता(ओं) के नाम(मों), उनके द्वारा लगाई गई बोली में बताए गये शुल्क और उसके विभिन्न घटकों के ब्यौरे, अगर कोई हो तो उसका सार्वजनिक रूप से एलान करेगा। सार्वजनिक रूप से यह घोषणा खरीदार के वेबसाइट पर वाञ्छित विवरण को पोस्ट करके 30 (तीस) दिन तक उसका प्रदर्शन करके किया जाएगा।
- 10.4** अधिनियम के प्रावधानों के अधीन वितरण लाइसेंस हासिल करने वाला या मध्यस्थ खरीदार, जो भी स्थिति हो, अधिनियम के अनुच्छेद 63 के अनुसार उपयुक्त आयोग से शुल्क दरों को मंजूरी दिलवाने के लिए आयोग से अनुरोध करेगा।

को इस तरह पढ़ा जाए:

"10. ठेका देना और कार्य पूरा करना

- 10.1.** बोली लगाने में सफल रहे ठेकेदार/परियोजना कंपनी या सफल बोलीकर्ता द्वारा गठित विशेष उद्देश्य कंपनी (एसपीवी) के साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर दस्तखत किये जाएंगे।
- 10.2.** बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति, बोलियों की आलोचनात्मक समीक्षा करेगी और इस बात के औचित्य का प्रमाणपत्र देगी कि बोली की प्रक्रिया और मूल्यांकन का कार्य आरएफएस (चयन हेतु अनुरोध) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

- 10.3.** पारदर्शिता के लिए खरीदार, पीपीए पर अमल के बाद, बोली लगाने में सफल रहे बोलीदाता(ओं) के नाम(मों), उनके द्वारा लगाई गई बोली में बताए गये शुल्क और उसके विभिन्नघटकों के ब्यौरे, अगर कोई हो तो उसका सार्वजनिक रूप से एलान करेगा। सार्वजनिक रूप से यह घोषणा खरीदार के वेबसाइट पर वांछित विवरण को पोस्ट करके 30 (तीस) दिनों तक उसका प्रदर्शन करके किया जाएगा।
- 10.4.** अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, वितरण लाइसेंस हासिल करने वाला या मध्यस्थ खरीदार, जो भी स्थिति हो, अधिनियम के अनुच्छेद 63 के अनुसार उपयुक्त आयोग से शुल्क दरों को मंजूरी दिलवाने के लिए आयोग से अनुरोध करेगा। यदि उपयुक्त आयोग साठ दिनों के भीतर उसपरनिर्णय नहीं लेता है, तो टैरिफ को उचित आयोग द्वारा अपनाया हुआ माना जाएगा।”

2.10 बिन्दु सं. 12 पर पैरा:

“12. वित्तीय समाप्ति

सौर विद्युत जनरेटर पीपीए की शर्तों के अनुसार, सोलर पार्क में लगायी जा रही परियोजनाओं के लिए, विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 9 (नौ) महीनों में और सोलर पार्क से बाहर लगायी जा रही परियोजनाओं के लिए, विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 12 (बारह) महीनों में वित्तीय समापन हासिल कर लेगा। तथापि, यदि किसी कारण से, वित्तीय समापन हासिल करने की समयावधि को इन दिशानिर्देशों में दी गई समयावधि से कम रखने की जरूरत है, खरीदार ऐसा कर सकता।

ऐसा न होने पर खरीदार पीवीजी का नकदीकरण तब तक नहीं करा सकता जब तक देरी का कारण खंड 3.2.1 और खंड 3.2.2 के अनुसार सरकार द्वारा खरीदार को जमीन के आवंटन में देरी रहा हो, न कि सोलर पावर जनरेटर के कृत्य/अकृत्य अथवा किसी अप्रत्याशित कारण से हो। तथापि, केवल सोलर पावर जनरेटर के अनुरोध पर वित्तीय समापन के लिए खरीदार द्वारा और समय देने के बारे में विचार किया जा सकता है जो तभी किया जाएगा जब सोलर पावर जनरेटर पीपीए निर्दिष्ट जुमाने का भुगतान कर दे। इस विस्तार का एससीडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो भी जुमाना दिया गया होगा वह एससीडी की अवधि में सोलर पावर जनरेटर के सफलतापूर्वक चालू होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा।”

को इस तरह पढ़ा जाए:

“12. वित्तीय समाप्ति

(क). सौर विद्युत जनरेटर पीपीए की शर्तों के अनुसार, सोलर पार्क में लगाये जाने के लिए निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए, विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 9 (नौ) महीनों में और जो परियोजनाएं सोलर पार्क में लगाये जाने के लिए निर्दिष्ट नहीं हैं, उनके लिए, विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 12 (बारह) महीनों में वित्तीय समापन हासिल कर लेगा। तथापि, यदि किसी कारण से, वित्तीय समापन हासिल करने की समयावधि को इन दिशानिर्देशों में दी गई समयावधि से कम रखने की जरूरत है, खरीदार ऐसा कर सकता है।

(ख). ऐसा न होने पर खरीदार पीवीजी का नकदीकरण कर सकता है बशर्ते कि देरी का कारण खंड 3.2.1 और खंड 3.2.2 के अनुसार खरीदार द्वारा जमीन के आवंटन में देरी रहा हो या सरकार द्वारा जमीन के आवंटन में देरी रहा हो, न कि सोलर पावर जनरेटर के कृत्य/अकृत्य अथवा किसी अप्रत्याशित कारण से हो। तथापि, केवल सोलर पावर जनरेटर के अनुरोध पर वित्तीय समापन के लिए खरीदार द्वारा और समय देने के बारे में विचार किया जा सकता है जो तभी किया जाएगा जब सोलर पावर जनरेटर पीपीए निर्दिष्ट जुमाने का भुगतान कर दे। इस विस्तार का एससीडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो भी जुमाना दिया गया होगा वह एससीडी की अवधि में सोलर पावर जनरेटर के सफलतापूर्वक चालू होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा।

(ग). ऐसा अनुमानित है कि इन दिशानिर्देशों के खंड 10.4 के संदर्भ में, उपयुक्त आयोग द्वारा आवेदन के जमा किए जाने के 60 दिनों के भीतर टैरिफ को स्वीकार किया जाएगा। तथापि, दिशानिर्देशों में निहित किसी व्यवस्था के बावजूद, उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को स्वीकार किए जाने में किसी प्रकार की देरी, 60 (साठ) दिनों से अधिक की होने पर, वित्तीय समापन में तदनुसार विस्तार दिया जायेगा।”

2.11 बिन्दु सं० 14.3.पर पैरा:

"14.3. चालू होने की समय सारिणी

सोलर पार्क में लगायी जा रही परियोजनाएं, पीपीए के निष्पादन की तारीख से 15(पंद्रह)महीनों की अवधि में चालू हो जानी चाहिए और सोलर पार्क से बाहर लगायी जा रही परियोजनाएं, पीपीए के निष्पादन की तारीख से 18(अठारह) महीनों की अवधि में चालू हो जानी चाहिए। तथापि, यदि किसी कारण से, पूर्वनिर्धारित निष्पादन अवधि इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयावधिसे कम रखने कीजरूरत है, तो खरीदारऐसा कर सकता है। चालू करने की निर्धारित तारीख के बाद विलंब से शुरू होने पर सोलर पावर जनरेटर पर पीपीए में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। अगर सोलर पावर जनरेटर के लिए खरीदार द्वारा निर्धारित भूमि के हस्तांतरण में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विलंब होने पर वित्तीय समापन और पूर्वनिर्धारित निष्पादन तारीख भी तदनुसार आगे बढ़ जाएगी, बशर्ते परियोजना पूरी करने की समयावधि में विस्तार एक साल के लिए होगा। विस्तारित अवधि अनुच्छेद 3.2.1(ए) के प्रावधानों के अनुसार बकाया 10 प्रतिशत भूमि के हस्तांतरण की तारीख के बीत जाने के बाद से शुरू हो रही एक वर्ष की अवधि तक सीमित होगी।"

को इस तरह पढ़ा जाए:

"14.3. चालू होने की समय अनुसूची

(i) सोलर पार्क में लगाए जाने के लिए निर्दिष्ट परियोजनाएं, पीपीए के निष्पादन की तारीख से 15(पंद्रह)महीनों की अवधि में चालू हो जानी चाहिए और जो परियोजनाएं सोलर पार्क में लगाए जाने के लिए निर्दिष्ट नहीं है, उन्हें पीपीए के निष्पादन की तारीख से 18(अठारह) महीनों की अवधि में चालू हो जानी चाहिए। तथापि, यदि किसी कारण से, पूर्वनिर्धारित निष्पादन अवधिको इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयावधि से कम रखने कीजरूरत है, तो खरीदार ऐसा कर सकता है। इन दिशानिर्देशों के खंड 5.4 के अधीन, चालू करने की निर्धारित तारीख के बाद विलंब से चालू होने पर सोलर पावर जनरेटर पर निम्नलिखित जुर्माना लागू होगा:

- क) चालू होने में एस.सी.डी. से छह महीने तक की देरी होने पर, निष्पादन बैंक गारंटी (पी.वी.जी.) का नकदीकरण, दैनिक आधार पर और चालू नहीं हुई क्षमता के अनुपात में किया जाएगा।
- ख) चालू होने में एस.सी.डी. से छह महीने से ज्यादा की देरी होने पर, इन दिशानिर्देशों के खंड 5.6 के अनुसार, उत्पादक की चूक माना जाएगा और अनुबंधित क्षमता, एस.सी.डी.+ 6 (छः) महीने तक घटी हुयी मानी जाएगी। चालू नहीं हुई शेष क्षमता के लिए पी.पी.ए. को रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) खरीदार द्वारा स्थान निर्धारित किए जाने की स्थिति में, सौर विद्युत उत्पादक को भूमिका हस्तांतरण करने में होने वाली किसी प्रकार की देरी पर, वित्तीय समापन और पूर्वनिर्धारित निष्पादन तारीख को भी तदनुसार आगे बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि खंड 3.2.1(क) के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम विस्तारित अवधि, बकाया 10 प्रतिशत भूमि के हस्तांतरण की तारीख बीत जाने के बाद से शुरू हो रही एक वर्ष की अवधि तक सीमित होगी।

(iii) ऐसा अनुमानित है कि इन दिशानिर्देशों के खंड 10.4 के संदर्भ में, उपयुक्त आयोग द्वारा, आवेदन के जमा किए जाने के 60 दिनों के भीतर टैरिफ को स्वीकार किया जाएगा। तथापि, दिशानिर्देशों में निहित किसी व्यवस्था के बावजूद, उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को स्वीकार किए जाने में किसी प्रकार की देरी, 60 (साठ) दिनों से अधिक की होने पर, परियोजना शुरू होने की तिथि में तदनु रूप विस्तार दिया जायेगा।"

अमितेश कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd October, 2019**Amendments to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects**

No. 283/57/2018-GRID SOLAR.— 1.0 The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects have been notified under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 vide resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I-Section-I) on 3rd August, 2017 and have been amended vide resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I-Section-I) on 15th June, 2018, resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I-Section-I) on 7th January, 2019 and resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I-Section-I) on 11th July, 2019.

2.0 The following amendments are hereby made in the said guidelines of 3rd August, 2017, amended on 15th June 2018, 7th January, 2019 and 11th July, 2019 namely:-

2.1 The Para at point No. 2.1.1(c):**“2.1.1(c) ‘Intermediary Procurer’ & ‘End Procurer’:**

- i. In some cases, an intermediary, between the distribution licensees and the generator (‘Solar Power Generator’), may be required either to aggregate the solar power purchased from different Solar Power Generators and sell it to the distribution licensee, or to enhance the credit profile. In such cases, the “Procurer” would be a trader, buying power from the Solar Power Generators and selling the same to one or more distribution licensees, such distribution licensees shall be the “End Procurer” and the trader shall be “Intermediary Procurer” for the purpose of these Guidelines.
- ii. The Intermediary Procurer shall enter into a PPA with the Solar Power Generator and also enter into a Power Sale Agreement (PSA) with the End Procurer. The PSA shall contain the relevant provisions of the PPA on a back to back basis. The trading margin, as notified by the Appropriate Commission (or in the absence of such notification, as mutually decided between the Intermediary Procurer and the End Procurer), shall be payable by the End Procurer to the Intermediary Procurer.
- iii. In such cases, as long as the Intermediary Procurer has followed these Guidelines for procurement of solar power, the End Procurer shall be deemed to have followed these Guidelines for procurement of solar power.”

May be read as under:

“2.1.1(c) ‘Intermediary Procurer’ & ‘End Procurer’:

- i. (a). In some cases, an intermediary, between the distribution licensees and the generator (‘Solar Power Generator’), may be required either to aggregate the solar power purchased from different Solar Power Generators and sell it to the distribution licensee(s), or to enhance the credit profile. In such cases, the “Procurer” would be a trader, buying power from the Solar Power Generators and selling the same to one or more distribution licensees, such distribution licensees shall be the “End Procurer” and the trader shall be “Intermediary Procurer” for the purpose of these Guidelines.
- (b). Provided that in case of aggregation of power purchased from different Solar Power Generators, the Intermediary Procurer may sell the solar power to End Procurer(s) at the weighted average of tariffs discovered and finalised for different bids over a period of (1st January to 30th June) or (1st July to 31st December) of any year. However, if required, MNRE may change this duration/ dates. The weighted average shall be calculated for the tariff discovered for all such bids where it has been specifically provided by the intermediary procurer that the bid would be part of the bundle of bids issued during the

specified period for arriving at weighted average tariff to be paid by the final procurer. The bundling (weighted averaging) would be done only for bids issued by the same Intermediary Procurer. The Intermediary Procurer would be the competent authority to certify the weighted average tariff during the period.

(c).The weights to be assigned to each successful bid tariff for calculation of the weighted average shall be the total accepted capacity in the bid for the respective tariffs. That is the weighted average tariff for n bids would be,

$$t_{avg} = (w_1 \times t_1 + w_2 \times t_2 + \dots + w_n \times t_n) \div (w_1 + w_2 + \dots + w_n)$$

where,

t_{avg} = weighted average tariff
 w_i = capacity won by successful bid 'i'
 t_i = tariff for successful bid 'i'
 and 'i' varies from 1 to n

(d).The weighted average tariff for bids from 1st January to 30th June would be called as “**June Tariff**” and that of the bids from 1st July to 31st December would be called as “**December Tariff**”.

(e).In case a project does not get commissioned or permanently stops generating after commissioning, then the capacity of such project shall be deducted and new weighted average tariff will be calculated and made applicable.

(f).For bids involving staggered commissioning or commissioning in tranches, where it has been specifically provided by the intermediary procurer that the bid would be part of the bundle of bids, the first tranche may be bundled with the bids issued in the same January-June or July-December block, as the block of the bid concerned. In such cases, if the Scheduled Commissioning Date (SCD) of the second tranche, as per the bid, is less than 6 months after that of first tranche, the second tranche may be bundled with immediately next block following the block in which first tranche was bundled. In case the SCD of the second tranche, as per the bid, is more than 6 months after that of first tranche, the second tranche may be bundled with next-to-next block following the block in which first tranche was bundled. Same principle may be followed for all subsequent tranches.

(g).For bids issued before 1st January 2020, and where the provision of bundling of bids, as per these Guidelines, has been specifically provided, the Intermediary Procurer may sell the solar power to End Procurer(s) following the above provisions of these Guidelines.

ii. (a).The Intermediary Procurer shall enter into a PPA with the Solar Power Generator and also enter into a Power Sale Agreement (PSA) with the End Procurer. The PSA shall contain the relevant provisions of the PPA on a back to back basis, rates shall be as per clause 2.1.1 c. The PSA may be signed initially with rates as “June Tariff” or “December Tariff”, depending where the bid falls, and subsequently, once the values for “June Tariff” or “December Tariff” have been computed the same may be mentioned in the PSA.

(b).The trading margin, of Rs. 0.07/kWh, shall be payable by the End Procurer to the Intermediary Procurer.

iii. As long as the Intermediary Procurer has followed these Guidelines for procurement of solar power, the End Procurer shall be deemed to have followed these Guidelines for procurement of solar power.”

2.2 The Para at point No. 3.2.3(a):

“**3.2.3(a):Land acquisition:** Within 12(twelve) months of the execution of the PPA, submission of documents/Lease Agreement to establish possession/right to use 100% (hundred per cent) of the required land in the name of the Solar Power Generator or its Affiliate. In case of land is in the name of any other entity, including Affiliate, the land/ land lease rights should be transferred in the name of Solar Power Generator prior to Scheduled Commissioning Date(SCD). Wherever leasing of private

land is involved, the lease should allow transfer of land lease rights to the lenders or Procurer, in case of default of the Solar Power Generator.”

May be read as under:

“**3.2.3(a):Land acquisition:** Submission of documents/Lease Agreement to establish possession/right to use 100% (hundred per cent) of the required land in the name of the Solar Power Generator for a period not less than the complete term of the PPA, on or before the Scheduled Commissioning Date (SCD). Wherever leasing of private land is involved, the lease should allow transfer of land lease rights to the lenders or Procurer, in case of default of the Solar Power Generator.”

2.3 The Para at point No. 5.3.2(a):

“**5.3.2(a) Payment Security by Intermediary Procurer to the Solar Power Generator:**

The Intermediary Procurer shall provide payment security to the Solar Power Generator through:

- i. **Revolving Letter of Credit (LC)** of an amount not less than 1 (one) months’ average billing from the Project under consideration;

AND

- ii. **Payment Security Fund**, which shall be suitable to support payment of at least 3 (three) months’ billing of all the Projects tied up with such fund.”

May be read as under:

“**5.3.2(a) Payment Security by Intermediary Procurer to the Solar Power Generator:**

The Intermediary Procurer shall provide payment security to the Solar Power Generator through:

- i. **Revolving Letter of Credit (LC)** of an amount not less than 1 (one) months’ average billing for the Project under consideration;

AND

- ii. **Payment Security Fund**, which shall be suitable to support payment of at least 3 (three) months’ billing of all the Projects tied up with such fund. For the purpose of this Payment Security Fund, the Intermediary may collect Rs 5.0 Lacs/MW (Five Lacs per MW) from Solar Power Generator(s). Such charges shall be stipulated clearly in the RFS and shall go to the Payment Security Fund set up for such Intermediary Procurer.”

2.4 The Para at point No. 5.3.2(b):

“**5.3.2(b) Payment Security by End Procurer to Intermediary Procurer:**

The End Procurer shall provide payment security to the Intermediary Procurer through:

- i. **Revolving Letter of Credit (LC)** of an amount not less than 1 (one) months’ average billing from the Project(s) under consideration;

AND,

- ii. **State Government Guarantee**, in a legally enforceable form, such that there is adequate security, both in terms of payment of energy charges and termination compensation if any. *[for the purpose of this clause, the Tri-Partite Agreement (TPA) signed between Reserve Bank of India, Central Government and State Government shall qualify as State Government Guarantee covering the security for payment of energy charges].* The Intermediary Procurer shall ensure that upon invoking this

guarantee, it shall at once, pass on the same to the Solar Power Generator, to the extent the payments to the Solar Power Generator in terms of the PPA are due.

- iii. In addition to (i) &(ii) above, the End Procurer may also choose to provide **Payment Security Fund**, which shall be suitable to support payment of at least 3 (three) months' billing of all the Projects tied up with such fund.

It is hereby clarified that the State Government guarantee shall be invoked only after the Intermediary Procurer has been unable to recover its dues under the PPA by means of the Letter of Credit and the Payment Security Fund, if any.”

May be read as under:

“5.3.2(b) Payment Security by End Procurer to Intermediary Procurer:

The End Procurer shall provide payment security to the Intermediary Procurer through:

- i. **Revolving Letter of Credit (LC)** of an amount not less than 1 (one) months' average billing for the Project(s) under consideration;

AND,

- ii. **State Government Guarantee**, in a legally enforceable form, such that there is adequate security, both in terms of payment of energy charges and termination compensation if any. *[for the purpose of this clause, the Tri-Partite Agreement (TPA) signed between Reserve Bank of India, Central Government and State Government shall qualify as State Government Guarantee covering the security for payment of energy charges].* The Intermediary Procurer shall ensure that upon invoking this guarantee, it shall at once, pass on the same to the Solar Power Generator, to the extent the payments to the Solar Power Generator in terms of the PPA are due. Provided that in cases where the End procurer is neither covered by Tri-Partite Agreement (TPA) nor is able to provide the State Government Guarantee, the following, shall be adopted:

Provision for payment of additional risk premium of Rs 0.10/kWh, by End Procurer to the Intermediary Procurer, and to be credited to the payment security fund maintained by the Intermediary Procurer, to meet such exigencies.

- iii. In addition to (i) &(ii) above, the End Procurer may also choose to provide **Payment Security Fund**, which shall be suitable to support payment of at least 3 (three) months' billing of all the Projects tied up with such fund.

It is hereby clarified that the State Government guarantee shall be invoked only after the Intermediary Procurer has been unable to recover its dues under the PPA by means of the Letter of Credit and the Payment Security Fund, if any.”

2.5 The Para at point No. 5.4.:

“5.4.Force Majeure: The PPA shall contain provisions with regard to force majeure definitions, exclusions, applicability and available relief on account of Force Majeure, as per the industry standards.”

May be read as under:

“5.4. Force Majeure

- 5.4.1. Definition of Force Majeure:** A ‘Force Majeure’ (FM) would mean one or more of the following acts, events or circumstances or a combination of acts, events or circumstances or the consequence(s) thereof, that wholly or partly prevents or unavoidably delays the performance by the Party (the **Affected Party**) of its obligations under the relevant Power Purchase Agreement, but only if and to the extent that such events or circumstances are not

within the reasonable control, directly or indirectly, of the Affected Party and could not have been avoided if the Affected Party had taken reasonable care or complied with Prudent Utility Practices.

5.4.2. Categorisation of Force Majeure Events:

5.4.2.1. Natural Force Majeure Event

- a) Act of God, including, but not limited to lightning, drought, fire and explosion (to the extent originating from a source external to the site), earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, cyclone, typhoon or tornado if it is declared / notified by the competent state / central authority / agency (as applicable), or verified to the satisfaction of Procurer;
- b) radioactive contamination or ionising radiation originating from a source in India or resulting from another Force Majeure Event mentioned above excluding circumstances where the source or cause of contamination or radiation is brought or has been brought into or near the Power Project by the Affected Party or those employed or engaged by the Affected Party;
- c) the discovery of geological conditions, toxic contamination or archaeological remains on the Project land that could not reasonably have been expected to be discovered through an inspection of the Project land; or
- d) any event or circumstances of a nature analogous to any of the foregoing.

5.4.2.2. Non-Natural Force Majeure Event

- a) any act of war (whether declared or undeclared), invasion, armed conflict or act of foreign enemy, blockade, embargo, revolution, riot, insurrection, terrorist or military action;
- b) nation/state-wide strike, lockout, boycotts or other industrial disputes which are not directly and solely attributable to the actions of the Affected Party, but does not include strike or labour unrest limited to the Affected Party or its contractors;
- c) nationalisation or any compulsory acquisition by any Indian Governmental Instrumentality/ State Government in national interest or expropriation of any material Project assets or rights of the Generator, as a result of which the Generator or its shareholders are deprived (wholly or partly) of their rights or entitlements under the Power Purchase Agreement. Provided that such action does not constitute remedies or sanctions lawfully exercised by the Procurer or any other Government Authority as a result of any breach of any of the Applicable Laws or the Applicable Permits by the Generator or the Generator related parties;
- d) action of a Government Authority having Material Adverse Effect including but not limited to change in law, only if consequences thereof cannot be dealt with under and in accordance with the provisions of Clause 5.7 of these Guidelines; any unlawful or unauthorised or without jurisdiction revocation of, or delay in, or refusal, or failure to renew or grant without valid cause, any Permits of the Generator or any of the clearance, licence, authorization to be obtained by the Contractors to perform their respective obligations under the relevant PPA and/or the Project Documents; provided that such delay, modification, denial, refusal or revocation did not result from the Generator's or any Contractors inability or failure to comply with any condition relating to grant, maintenance or renewal of such Permits or clearance, licence, authorization, as the case may be.

Clarification: The phrase "Change in Law" would include changes brought out through change in Law, Rules, Regulations or orders of competent authorities.

5.4.3. Force Majeure Exclusions

5.4.3.1. Force Majeure shall not include (i) any event or circumstance which is within the reasonable control of the Parties and (ii) the following conditions, except to the extent that they are consequences of an event of Force Majeure:

- a) Unavailability, late delivery, or changes in cost of the plant, machinery, equipment, materials, spare parts or consumables for the Power Project;
- b) Delay in the performance of any contractor, sub-contractor or their agents;

- c) Non-performance resulting from normal wear and tear typically experienced in power generation materials and equipment;
- d) Strikes at the facilities of the Affected Party;
- e) Insufficiency of finances or funds or the agreement becoming onerous to perform; and
- f) Non-performance caused by, or connected with, the Affected Party's:
 - i. Negligent or intentional acts, errors or omissions;
 - ii. Failure to comply with an Indian Law; or
 - iii. Breach of, or default under this Agreement.

5.4.4. Notification of Force Majeure Event

5.4.4.1. The Affected Party shall give notice to the other Party of any event of Force Majeure as soon as reasonably practicable, but not later than seven (7) days after the date on which such Party knew or should reasonably have known of the commencement of the event of Force Majeure. If an event of Force Majeure results in a breakdown of communications rendering it unreasonable to give notice within the applicable time limit specified herein, then the Party claiming Force Majeure shall give such notice as soon as reasonably practicable after reinstatement of communications, but not later than one (1) day after such reinstatement.

5.4.4.2. Provided that such notice shall be a pre-condition to the Affected Party's entitlement to claim relief under the PPA. Such notice shall include full particulars of the event of Force Majeure, its effects on the Party claiming relief and the remedial measures proposed. The Affected Party shall give the other Party regular (and not less than weekly) reports on the progress of those remedial measures and such other information as the other Party may reasonably request about the Force Majeure Event.

5.4.4.3. The Affected Party shall give notice to the other Party of (i) the cessation of the relevant event of Force Majeure; and (ii) the cessation of the effects of such event of Force Majeure on the performance of its rights or obligations under the PPA, as soon as practicable after becoming aware of each of these cessations.

5.4.5 Performance Excused

5.4.5.1. The Affected Party, to the extent rendered unable to perform its obligations or part of the obligation thereof under the PPA as a consequence of the Force Majeure Event, shall be excused from performance of the obligations, provided that the period shall not exceed 180 (one hundred and eighty) Days from the date of issuance of the FM Notice. The Parties may mutually agree to extend the period for which performance is excused due to a Force Majeure Event.

5.4.5.2. For the time period, as mutually agreed by the Parties, during which the performance shall be excused, the generator shall be entitled for a day to day extension of the period provided for Financial Closure or Scheduled Commissioning Period or the PPA period, as the case may be.

5.4.5.3. Provided always that a Party shall be excused from performance only to the extent reasonably warranted by the Force Majeure Event.

5.4.5.4. Provided further that, nothing shall absolve the Affected Party from any payment obligations accrued prior to the occurrence of the underlying Force Majeure Event.

5.4.6. No Liability for Other Losses

Save as otherwise provided in these Guidelines, no Party shall be liable in any manner, whatsoever, to the other Parties in respect of any Loss relating to or arising out of the occurrence or existence of any Force Majeure Event.

5.4.7. Resumption of Performance

During the period that a Force Majeure Event is subsisting, the Affected Party shall, in consultation with the other Parties, make all reasonable efforts to limit or mitigate the effects of such Force Majeure Event on the performance of its obligations under the PPA. The

Affected Party shall also make efforts to resume performance of its obligations under this Agreement as soon as possible and upon resumption, shall notify other Parties of the same in writing. The other Parties shall afford all reasonable assistance to the Affected Party in this regard.

5.4.8. Termination Due to Force Majeure Event

5.4.8.1. Termination due to Natural Force Majeure Event

- a) If, prior to the completion of the 180 (one hundred and eighty) Day period (or any extended period) for a Natural Force Majeure Event commencing from the date of issuance of the Force Majeure Notice, the Parties are of the reasonable view that a Natural Force Majeure Event is likely to continue beyond such 180 (one hundred and eighty) Day period or any extended period agreed in pursuance of Article 5.4.5 (Performance Excused); or that it is uneconomic or impractical to restore the affected Unit, then the Parties may mutually decide to terminate the PPA, and the termination shall take effect from the date on which such decision is taken.
- b) Without prejudice to the provisions of Article 5.4.8.1(a) above, the Affected Party shall, after the expiry of the period of 180 (one hundred and eighty) Days or any other mutually extended period, be entitled to forthwith terminate the PPA in its sole discretion by issuing a notice to that effect.
- c) On termination of the PPA pursuant to Article 5.4.8.1(b):
 - (i) no Termination Compensation shall be payable to the generator.
 - (ii) the Generator shall be eligible for undisputed payments under outstanding Monthly Bill(s), before the occurrence of Force Majeure Event.

5.4.8.2. Termination due to Non-Natural Force Majeure Event

- a) Upon occurrence of a Non-Natural Force Majeure Event, the Generator shall, at its discretion, have the right to terminate the PPA forthwith after the completion of the period of 180 (one hundred and eighty) Days from the date of the Force Majeure Notice.
- b) Notwithstanding anything in Article 5.4.6, on termination of the PPA pursuant to Article 5.4.8.2(a):
 - (i) the Procurer shall pay to the Generator, 'Force Majeure Termination Compensation' equivalent to the amount of the Debt Due and the 110% (one hundred and ten per cent) of the Adjusted Equity, as defined in these Guidelines, and takeover the Project assets.
 - (ii) the Generator shall be eligible for undisputed payments under outstanding Monthly Bill(s), before the occurrence of Force Majeure Event."

2.6 The Para at point No. 5.5.2.:

“5.5.2. Offtake constraints due to Backdown: The Solar Power Generator and the Procurer shall follow the forecasting and scheduling process as per the regulations in this regard by the Appropriate Commission. The Government of India, as per Clause 5.2(u) of the Indian Electricity Grid Code (IEGC), encourages a status of “must-run” to solar power projects. Accordingly, no solar power plant, duly commissioned, should be directed to back down by a Discom/ Load Dispatch Centre (**LDC**). In case such eventuality of Backdown arises, except for the cases where the Backdown is on account of events like consideration of grid security or safety of any equipment or personnel or other such conditions, the Solar Power Generator shall be eligible for a Minimum Generation Compensation, from the Procurer, in the manner detailed below.

Duration of Backdown	Provision for Generation Compensation
Hours of Backdown during a monthly billing cycle.	<p>Minimum Generation Compensation =</p> <p>50% of [(Average Generation per hour during the month) × (number of backdown hours during the month) × PPA Tariff]</p> <p>Where, Average Generation per hour during the month (kWh) =</p> <p>$\frac{\text{Total generation in the month (kWh)}}{\text{Total hours of generation in the month}}$</p>

The Generation Compensation is to be paid as part of the energy bill for the successive month after receipt of Regional Energy Accounts (REA). No Trading Margin shall be applicable on this Generation Compensation. Possible conditions for exclusion of Generation Compensation, on account of Backdown purposes, shall be clearly specified in the RfS and the PPA.”

May be read as under:

“5.5.2. Offtake constraints due to Backdown:

(a). The Solar Power Generator and the Procurer shall follow the forecasting and scheduling process as per the regulations in this regard by the Appropriate Commission. The Government of India, as per Clause 5.2(u) of the Indian Electricity Grid Code (IEGC), provides for status of “must-run” to solar power projects. Accordingly, no solar power plant, duly commissioned, should be directed to back down by a Discom/ Load Dispatch Centre (LDC). In case such eventuality of Backdown arises, including non-dispatch of power due to non-compliance with “Order No. 23/22/2019-R&R dated 28.06.2019 of Ministry of Power regarding Opening and maintaining of adequate Letter of Credit (LC) as Payment Security Mechanism under Power Purchase Agreements by Distribution Licensees” and any clarifications or amendment thereto, except for the cases where the Backdown is on account of events like consideration of grid security or safety of any equipment or personnel or other such conditions, the Solar Power Generator shall be eligible for a Minimum Generation Compensation, from the Procurer, in the manner detailed below.

Duration of Backdown	Provision for Generation Compensation
Hours of Backdown during a monthly billing cycle.	<p>Minimum Generation Compensation =</p> <p>100% of [(Average Generation per hour during the month) × (number of backdown hours during the month) × PPA Tariff]</p> <p>Where, Average Generation per hour during the month (kWh) =</p> <p>$\frac{\text{Total generation in the month (kWh)}}{\text{Total hours of generation in the month}}$</p>

(b).The Generation Compensation is to be paid as part of the energy bill for the successive month after receipt of Regional Energy Accounts (REA). No Trading Margin shall be applicable on this Generation Compensation. Possible conditions for exclusion of Generation Compensation, on account of Backdown purposes, shall be clearly specified in the RfS and the PPA.

(c).No back-down / curtailment to be ordered without giving formal/ written instruction for the same.

(d).The details of back-down / curtailment, including justifications for such curtailment, to be made public by the concerned Load Dispatch Centre.”

2.7 The Para at point No. 5.6.1.:**“5.6.1. Generator Event of Default and the consequences thereof:**

- a) In the event the Solar Power Generator is unable to commission the plant within the stipulated time period, or fails to supply power in terms of the PPA, or assigns or novates any of its rights or obligations contrary to the terms of the PPA, or repudiates the PPA, or effectuates a change in control or shareholding of its promoters in breach of the provisions of the PPA, or commits any other acts or omissions as laid down in the PPA and is also unable to cure any of the aforesaid within the cure period, as may be provided in the PPA, the Solar Power Generator shall be construed to be in default.
- b) Upon being in default, the Solar Power Generator shall be liable to pay to the Procurer, damages, as detailed in the PPA. The Procurer shall have the right to recover the said damages by way of forfeiture of bank guarantee, if any, without prejudice to resorting to any other legal course or remedy.
- c) In addition to the levy of damages as aforesaid, in the event of a default by the Solar Power Generator, the lenders shall be entitled to exercise their rights of substitution, in accordance with the substitution agreement provided in the PPA and in concurrence with the Procurers. However, in the event the lenders are unable to substitute the defaulting Solar Power Generator within the stipulated period, the Procurer may terminate the PPA and acquire the Project assets for an amount equivalent to 90% of the debt due, failing which, the lenders may exercise their mortgage rights and liquidate the Project assets.”

May be read as under:

“5.6.1. Generator Event of Default and the consequences thereof:

- a) In the event the Solar Power Generator is unable to commission the plant within the stipulated time period, or fails to supply power in terms of the PPA, or assigns or novates any of its rights or obligations contrary to the terms of the PPA, or repudiates the PPA, or effectuates a change in control or shareholding of its promoters in breach of the provisions of the PPA, or commits any other acts or omissions as laid down in the PPA and is also unable to cure any of the aforesaid within the cure period, as may be provided in the PPA, the Solar Power Generator shall be construed to be in default.
- b) Upon being in default, the Solar Power Generator shall be liable to pay to the Procurer, damages, as provided in these Guidelines in Clause 14.3 for failure to commission within stipulated time and Clause 5.2.1(a) for failure to supply power in terms of the PPA. For other cases, pay to the Procurer, damages, equivalent to 6 (six) months, or balance PPA period whichever is less, of charges for its contracted capacity. The Procurer shall have the right to recover the said damages by way of forfeiture of bank guarantee, if any, without prejudice to resorting to any other legal course or remedy.
- c) In addition to the levy of damages as aforesaid, in the event of a default by the Solar Power Generator, the lenders shall be entitled to exercise their rights of substitution, in accordance with the substitution agreement provided in the PPA and in concurrence with the Procurers. However, in the event the lenders are unable to substitute the defaulting Solar Power Generator within the stipulated period, the Procurer may terminate the PPA and acquire the Project assets for an amount equivalent to 90% of the debt due, failing which, the lenders may exercise their mortgage rights and liquidate the Project assets.”

2.8 The Para at point No. 5.6.2.:**“5.6.2. Procurer Event of Default and the consequences thereof:**

- a) If the Procurer is in default on account of reasons including inter alia failure to pay the monthly and/or supplementary bills within the stipulated time period or repudiation of the PPA, the defaulting Procurer shall, subject to the prior consent of the Solar Power Generator, novate its part of the PPA to any third party, including its Affiliates within the stipulated period.

- b) In the event the aforesaid novation is not acceptable to the Solar Power Generator, or if no offer of novation is made by the defaulting Procurer within the stipulated period, then the Solar Power Generator may terminate the PPA and at its discretion require the defaulting Procurer to either (i) takeover the Project assets by making a payment of the termination compensation equivalent to the amount of the debt due and the 150% (one hundred and fifty per cent) of the adjusted equity as detailed in the PPA or, (ii) pay to the Solar Power Generator, damages, equivalent to 6 (six) months, or balance PPA period whichever is less, of charges for its contracted capacity, with the Project assets being retained by the Solar Power Generator.

In the event of termination of PPA, any damages or charges payable to the STU/ CTU, for the connectivity of the plant, shall be borne by the Procurer.”

May be read as under:

“5.6.2. Procurer Event of Default and the consequences thereof:

- a) If the Procurer is in default on account of reasons including inter alia failure to pay the monthly and/or supplementary bills within the stipulated time period or repudiation of the PPA, the defaulting Procurer shall, subject to the prior consent of the Solar Power Generator, novate its part of the PPA to any third party, including its Affiliates within the stipulated period.
- b) In the event the aforesaid novation is not acceptable to the Solar Power Generator, or if no offer of novation is made by the defaulting Procurer within the stipulated period, then the Solar Power Generator may terminate the PPA and at its discretion, require the defaulting Procurer to either (i) takeover the Project assets by making a payment of the termination compensation equivalent to the amount of the debt due and the 110% (one hundred and ten per cent) of the adjusted equity as defined below, less Insurance Cover, if any, or, (ii) pay to the Solar Power Generator, damages, equivalent to 6 (six) months, or balance PPA period, whichever is less, of charges for its contracted capacity, with the Project assets being retained by the Solar Power Generator.
- c) In the event of termination of PPA, any damages or charges payable to the STU/ CTU, for the connectivity of the plant, shall be borne by the Procurer.
- d) **Adjusted Equity** means the Equity funded in Indian Rupees and adjusted on the first day of the current month (the “Reference Date”), in the manner set forth below, to reflect the change in its value on account of depreciation and variations in Wholesale Price Index (WPI), and for any Reference Date occurring between the first day of the month of Appointed Date (the date of achievement of Financial Closure) and the Reference Date;
- i. On or before Commercial Operation Date (COD), the Adjusted Equity shall be a sum equal to the Equity funded in Indian Rupees and expended on the Project, revised to the extent of one half of the variation in WPI occurring between the first day of the month of Appointed Date and Reference Date;
 - ii. An amount equal to the Adjusted Equity as on COD shall be deemed to be the base (the “Base Adjusted Equity”);
 - iii. After COD, the Adjusted Equity hereunder shall be a sum equal to the Base Adjusted Equity, reduced by 0.333% (zero point three threethree percent) thereof at the commencement of each month following the COD [*reduction of 1% (one percent) per quarter of an year*] and the amount so arrived at shall be revised to the extent of variation in WPI occurring between the COD and the Reference Date;

For the avoidance of doubt, the Adjusted Equity shall, in the event of termination, be computed as on the Reference Date immediately preceding the Transfer Date; provided that no reduction in the Adjusted Equity shall be made for a period equal to the duration, if any, for which the PPA period is extended, but the revision on account of WPI shall continue to be made.

- e) **Debt Due** means the aggregate of the following sums expressed in Indian Rupees outstanding on the Transfer Date:
- i. The principal amount of the debt provided by the Senior Lenders under the Financing Agreements for financing the Total Project Cost (the 'Principal') but excluding any part of the principal that had fallen due for repayment 2 (two) years prior to the Transfer Date;
 - ii. All accrued interest, financing fees and charges payable under the Financing Agreements on, or in respect of, the debt referred to in sub-clause 5.6.2(e)(i) above until the Transfer Date but excluding: (i) any interest, fees or charges that had fallen due one year prior to the Transfer Date, (ii) any penal interest or charges payable under the Financing Agreements to any Senior Lender, (iii) any pre-payment charges in relation to accelerated repayment of debt except where such charges have arisen due to Utility Default, and (iv) any Subordinated Debt which is included in the Financial Package and disbursed by lenders for financing the Total Project Cost.

Provided that if all or any part of the Debt Due is convertible into Equity at the option of Senior Lenders and/or the Concessionaire, it shall for the purposes of this Agreement be deemed not to be Debt Due even if no such conversion has taken place and the principal thereof shall be dealt with as if such conversion had been undertaken.

Provided further that the Debt Due, on or after COD, shall in no case exceed 80% (eighty percent) of the Total Project Cost."

2.9 The Para at point No. 10.:

"10. CONTRACT AWARD AND CONCLUSION

- 10.1 The PPA shall be signed with the successful bidder/ project company or an SPV formed by the successful bidder.
- 10.2 After the conclusion of bidding process, the Evaluation Committee constituted for evaluation of RfS bids shall critically evaluate the bids and certify as appropriate that the bidding process and the evaluation has been conducted in conformity to the provisions of the RfS.
- 10.3 For the purpose of transparency, the Procurer shall, after the execution of the PPA, publicly disclose the name(s) of the successful bidder(s) and the tariff quoted by them together with breakup into components, if any. The public disclosure shall be made by posting the requisite details on the website of the Procurer for at least 30 (thirty) days.
- 10.4 Subject to provisions of the Act, the distribution licensee or the Intermediary Procurer, as the case, shall approach the Appropriate Commission for adoption of tariffs by the Appropriate Commission in terms of Section 63 of the Act."

May be read as under:

"10. CONTRACT AWARD AND CONCLUSION

- 10.1 The PPA shall be signed with the successful bidder/ project company or an SPV formed by the successful bidder.
- 10.2 After the conclusion of bidding process, the Evaluation Committee constituted for evaluation of RfS bids shall critically evaluate the bids and certify as appropriate that the bidding process and the evaluation has been conducted in conformity to the provisions of the RfS.
- 10.3 For the purpose of transparency, the Procurer shall, after the execution of the PPA, publicly disclose the name(s) of the successful bidder(s) and the tariff quoted by them together with breakup into components, if any. The public disclosure shall be made by posting the requisite details on the website of the Procurer for at least 30 (thirty) days.
- 10.4 Subject to provisions of the Act, the distribution licensee or the Intermediary Procurer, as the

case may be, shall approach the Appropriate Commission for adoption of tariffs by the Appropriate Commission in terms of Section 63 of the Act. In case, the Appropriate Commission does not decide upon the same within sixty days of such submission, the tariffs shall be deemed to be have been adopted by the Appropriate Commission.”

2.10 The Para at point No. 12.:

“12. Financial Closure:

Solar Power Generator shall attain the financial closure in terms of the PPA, within 9 (nine) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for projects being set up in Solar park, and within 12 (twelve) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for projects being set up outside Solar park. However, if for any reason, the time period for attaining the financial closure needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same.

Failing the aforesaid, the Procurer shall encash the PBG unless the delay is on account of delay in allotment of land by the Procurer in terms of Clause 3.2.1 and Clause 3.2.2 or delay in allotment of land by the Government not owing to any action or inaction on the part of the Solar Power Generator or caused due to a Force Majeure. An extension for the attainment of the financial closure can however be considered by the Procurer, on the sole request of the Solar Power Generator, on payment of a penalty as specified in the PPA. This extension will not have any impact on the SCD. Any penalty paid so, shall be returned to the Solar Power Generator without any interest on achievement of successful commissioning within the SCD.

May be read as under:

“12.0. Financial Closure:

(a). Solar Power Generator shall attain the financial closure in terms of the PPA, within 9 (nine) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for projects specified to be set up in Solar park, and within 12 (twelve) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for projects not specified to be set up in Solar park. However, if for any reason, the time period for attaining the financial closure needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same.

(b). Failing the aforesaid, the Procurer shall encash the PBG unless the delay is on account of delay in allotment of land by the Procurer in terms of Clause 3.2.1 and Clause 3.2.2 or delay in allotment of land by the Government not owing to any action or inaction on the part of the Solar Power Generator or caused due to a Force Majeure. An extension for the attainment of the financial closure can however be considered by the Procurer, on the sole request of the Solar Power Generator, on payment of a penalty as specified in the PPA. This extension will not have any impact on the SCD. Any penalty paid so, shall be returned to the Solar Power Generator without any interest on achievement of successful commissioning within the SCD.

(c). It is presumed that in terms of Clause 10.4 of these Guidelines, the tariff will be adopted by the Appropriate Commission within 60 days of such submission. However, notwithstanding anything contained in these Guidelines, any delay in adoption of tariff by the Appropriate Commission, beyond 60 (sixty) days, shall entail a corresponding extension in financial closure.”

2.11 The Para at point No. 14.3.:

“14.3. Commissioning Schedule:

The projects shall be commissioned, within a period of 15 (fifteen) months from the date of execution of the PPA, for projects being set up in Solar park, and within a period of 18 (eighteen) months from the date of execution of the PPA, for projects being set up outside Solar park. However, if for some reason, the scheduled commissioning period needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same. Delay in commissioning, beyond the Scheduled Commissioning Period shall involve

penalties on the Solar Power Generator, as detailed out in PPA. In case of site specified by the Procurer, any delay in handing over land to the Solar Power Generator in accordance with the given timelines, shall entail a corresponding extension in financial closure and scheduled commissioning date, provided that the maximum extension shall be limited to a period of 1 year commencing from the expiry of date of handing over of balance 10% of land in terms of Clause 3.2.1 (a).”

May be read as under:

“14.3. Commissioning Schedule:

(i). The projects shall be commissioned, within a period of 15 (fifteen) months from the date of execution of the PPA, for projects specified to be set up in Solar park, and within a period of 18 (eighteen) months from the date of execution of the PPA, for projects not specified to be set up in Solar park. However, if for some reason, the scheduled commissioning period needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same. Subject to clause no. 5.4 of these Guidelines, delay in commissioning, beyond the Scheduled Commissioning Period shall involve penalties, on the Solar Power Generator, as detailed below:

- a) For Delay in commissioning upto 6 (six) months from SCD, encashment of Performance Bank Guarantee (PBG) on per day basis and proportionate to the capacity not commissioned.
- b) For Delay in commissioning beyond six months from SCD, Generator Event of Default, as per clause 5.6.1 of these Guidelines, shall be considered to have occurred and the contracted capacity shall stand reduced to the project capacity commissioned upto SCD + 6 (six) months. The PPA for the balance capacity not commissioned shall be terminated.

(ii). In case of site specified by the Procurer, any delay in handing over land to the Solar Power Generator in accordance with the given timelines, shall entail a corresponding extension in financial closure and scheduled commissioning date, provided that the maximum extension shall be limited to a period of 1 year commencing from the expiry of date of handing over of balance 10% of land in terms of Clause 3.2.1 (a).

(iii). It is presumed that in terms of Clause 10.4 of these Guidelines, the tariff will be adopted by the Appropriate Commission within 60 days of such submission. However, notwithstanding anything contained in these Guidelines, any delay in adoption of tariff by the Appropriate Commission, beyond 60 (sixty) days, shall entail a corresponding extension in scheduled commissioning date.”

AMITESH KUMAR SINHA, Jt. Secy.